



भारत
STAMP DUTY
00000
Rs. 0000100/-
375345
INDIA



"प्ररूप 26"
(नियम 4क देखिए)

996
17/04/2014



ATTTESTED

J.K. Singh
NOTARY PUBLIC
BAJIPUR (VAISHALI)

21, हाजीपुर (अ० जा०)

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) लोक सभा संसद (सदन का नाम) के लिए
निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं उपेन्द्र राम

**पुत्र/प्रती/फ्ली राम अश्वीका राम

आयु 41 वर्ष, जो ग्राम - दारापुर, पी० - गोरिगामा,
भाना - महानार, जिला - वैशाली, पिन - 844507.

(डाक का


पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूं और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता
हूं/करती हूं शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/करती हूं:-

(1) मैं (**साजनैतिक दल का नाम) झसा खड़ा
किया गया अभ्यर्थी / **एक स्वतंत्र अभ्यार्थी के रूप में लड़ रहा है।

(**जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 129, महानार(वामांश) बिहर (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं 170
के क्रम सं 176 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं 9973388974 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) ...
है।



(4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्राप्ति :

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपए में)
1.	स्वयं उपेन्द्र राम	३२०५	३२०५	३२०५
2.	प्रति या पली दन्दू देवी	३२०५	३२०५	३२०५
3.	आश्रित-1 राज किशोर	३२०५	३२०५	३२०५
4.	आश्रित-2 राज नैदुनी उमारी	३२०५	३२०५	३२०५
5.	आश्रित-3 रानी कुमारी	३२०५	३२०५	३२०५

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा / करेगी :-

(i) निम्नालिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं।

(क)	मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना / जिला / राज्य के पूर्ण ब्यौरे	३२०५
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	३२०५
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोपित (अपराधों) की विरचना की गई	३२०५



(इ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	<u>२०-५</u>
(ब)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई हैं/हैं	<u>२०-५</u>

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित हैं/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है {पूर्वोक्त}

मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न]:-

२०-५

(क)	न्यायालय का नाम, मामलों संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	<u>२०-५</u>
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	<u>२०-५</u>
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों) / आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे	<u>२०-५</u>

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43)की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है

	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	<u>२०-५</u>
	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश की तारीख (तारीखें)	<u>२०-५</u>

(ग)	अधिरोपित दंड	शून्य
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रारिथति	शून्य

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 – संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 – जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 – सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिवेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 – यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 – रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
(i)	हाथ में नकदी	₹25,000/-	5,000/-	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी है), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	1000/-	1,000/-	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	कंपनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिवेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के बौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	रु०५	रु०५	रु०५	रु०५	रु०५
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	रु०५	रु०५	रु०५	रु०५	रु०५
(vi)	मोटरयान/वायुमाल/आट/प्रेत (मेक रजिस्ट्रीकरण सख्ता आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	BR-314 9938 वर्ष-2013 59500/-	रु०५	रु०५	रु०५	रु०५
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के बौरे)	रु०५	सोने का गान का शाप 5 ग्राम किमत 15,000/-	रु०५	रु०५	रु०५
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	रु०५	रु०५	रु०५	रु०५	रु०५
(ix)	समग्र कुल मूल्य	85,500/-	21,000/-	रु०५	रु०५	रु०५

आ. स्थावर आस्तियों के बौरे

टिप्पण 1— संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2— प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	००८४३. ११,५९०	रु०५	रु०५	रु०५	रु०५
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	०२०,११,५९०	रु०५	रु०५	रु०५	रु०५
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	३१	रु०५	रु०५	रु०५	रु०५
	वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	रु०५	रु०५	रु०५	रु०५	रु०५
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	रु०५	रु०५	रु०५	रु०५	रु०५



	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	✓	✓	✓	✓	✓
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	✓	✓	✓	✓	✓
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	✓	✓	✓	✓	✓
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	✓	✓	✓	✓	✓
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	✓	✓	✓	✓	✓
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	✓	✓	✓	✓	✓
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	✓	✓	✓	✓	✓
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	✓	✓	✓	✓	✓
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	✓	✓	✓	✓	✓
(iii)	वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	✓	✓	✓	✓	✓
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	✓	✓	✓	✓	✓
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	✓	✓	✓	✓	✓
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	✓	✓	✓	✓	✓
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	✓	✓	✓	✓	✓
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	✓	✓	✓	✓	✓
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	✓	✓	✓	✓	✓
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	✓	✓	✓	✓	✓
(iv)	आकाशीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	✓	✓	✓	✓	✓
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	✓	✓	✓	✓	✓



निमित्त क्षेत्र (वर्ग कुट में कुल माप)	२०	२०५	२०५	२०५	२०५
क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	हाँ	२०५	२०५	२०५	२०५
स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	२०५	२०५	२०५	२०५	२०५
क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	२०५	२०५	२०५	२०५	२०५
विकास, सनिमार्ण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	२०५	२०५	२०५	२०५	२०५
अनुमानित चालू बाजार मूल्य	२०५	२०५	२०५	२०५	२०५
(V) अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	२०५	२०५	२०५	२०५	२०५
(VI) पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	रु० ८५०,०००	२०५	२०५	२०५	२०५

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक् विवरण दें)

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	२०५	२०५	२०५	२०५	२०५
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	२०५	२०५	२०५	२०५	२०५
	कोई अन्य दायित्व	२०५	२०५	२०५	२०५	२०५
	दायित्ववाँ का कुल योग	२०५	२०५	२०५	२०५	२०५
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	२०५	२०५	२०५	२०५	२०५



	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	✓	✓	✓	✓	✓
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	✓	✓	✓	✓	✓
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	✓	✓	✓	✓	✓
	आय-कर शोध्य	✓	✓	✓	✓	✓
	घनकर शोध्य	✓	✓	✓	✓	✓
	सेवाकर शोध्य	✓	✓	✓	✓	✓
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	✓	✓	✓	✓	✓
	विक्रयकर शोध्य	✓	✓	✓	✓	✓
	कोई अन्य शोध्य	✓	✓	✓	✓	✓
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	✓	✓	✓	✓	✓
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हो तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	✓	✓	✓	✓	✓

(9) वृति या उपजीविका के बारे :

(क) स्वयं कृषि

(ख) पति या पत्नी श्रद्धिणी

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :-

इन्हरे, ५१८/पैनरेन्ड देव महाविद्यालय, काशीपुर - ७३१०१,
बिहार इन्डरामणि एड एड्यूकेशन कॉर्पोरेशन, पटना, नं. १९८९.

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दे)



भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये व्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कुप्ति उपेन्द्र राम				
2	डाक का पता	ग्राम- बारापुर, पो. गोरिगामा पानामुदनार, ज़िला-वैद्याली, 21, दार्जीपुर (अष्टजा०) बिहार				
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य					
4	उस राजनीतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	स्वतंत्र				
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं। (ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) उल्लिखित मामलों से मिल्न)	३०५ ३०५				
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाएं)	३०५				
7	 का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय		
(क) अभ्यर्थी		३०५	३०५	३०५		
(ख) पति या पत्नी		३०५	३०५	३०५		
(ग) आश्रित		३०५	३०५	३०५		
8	आस्तियों और दायित्वों के व्यौरे (रूपये में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
	जगन आस्तियां (कुल मूल्य)	३०५	३०५	३०५	३०५	३०५



ख	स्थावर आस्तियां	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
I.	स्वार्जित स्थावर संपति की क्रय कीमत	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
III.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
	(क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
9	दायित्व	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं	रुपये				
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये



11	<p>उच्चतम शैक्षिक अर्हता : <u>झ-२२</u>, झारखंड नरेन्द्र देव, मणिलयालय, बाहुपुर पटोरी बिहार इन्डस्ट्रियल एड्युकेशन कॉलेज, पटना, ७८-१९८९</p> <p>(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)</p>
----	--

सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग के और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामलों से मिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से मिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 17.04.2014 को सत्यापित किया गया।

अपेक्षा मिश्र

अभिसाक्षी
अपेक्षा मिश्र
अपेक्षा मिश्र
अपेक्षा मिश्र

टिप्पण 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना।

Chandrabhanu Singh
Advocate

17.04.14.

टिप्पण 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़, यदि किसी मद के संबंध में कोई किसी कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।



NOTARY PUBLIC
BAJIPUR (VAISHALI)

KR 17/4/14

टिप्पण - ५ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसज़ैस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामाले में अन्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण-६ शपथ पत्र के पारा ३ में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्याएँ हैं/हैं ९९७३३८८९७४ एवं ९९५५५३३६२६ (P.P)

मेरा ई-मेल आईडी० (अगर कोई हो) है..... शून्य

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है..... शून्य

टिप्पण-७ शपथ पत्र के पारा ८ में वित्तीय संस्थानों के प्रति दायित्वों में विदेशी बैंकों/संस्थाओं में जगा/निवेश सहित सूचना दें। शून्य

